उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: df@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक /उ0पा0का0लि0/नि0(वि0)–38 दिनांक : 27.05.2022

उपमहाप्रबन्धक(वित्त)
गढ़वाल/हरिद्वार/कुमाऊँ/रूद्रपुर क्षेत्र,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून/हरिद्वार/हल्द्वानी/उधमसिंह नगर।

विषय : **बैंकों के साथ उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के अनुबन्ध का क्रियान्वयन सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक आप भिज्ञ हैं कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के साथ विभिन्न कार्यशील बैंकों के साथ वित्तीय लेन–देन एवं बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में विस्तृत अनुबन्ध वर्ष 2003 में सम्पन्न किये गये हैं, जो आज दिनांक तक सम्बन्धित बैंकों एवं विभाग को मान्य है। क्षेत्रों से प्राप्त माह 03/2022 के बैंक समाधान विवरणों का संज्ञान लेने पर ज्ञात हो रहा है कि अदर डेबिट मद में बैंक चार्जेज मद में कारपोरेशन की एक बड़ी धनराशि लम्बित पायी जा रही है, जो कि बैंकों के साथ सम्पन्न अनुबन्ध का स्पष्ट उल्लंघन है। संज्ञान में यह भी लाया गया है कि बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखाओं द्वारा अनुबन्ध के प्रतिबन्धों पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए नकद जमा, अनादृत चैक एवं चैक बुक मद में वसूली की जा रही है, जबकि अनुबन्ध के अन्तिम बिन्दु में स्पष्ट निर्धारित है कि प्रश्नगत अनुबन्ध उत्तराखण्ड स्थित समस्त शाखाओं के लिए मान्य है।

अतः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पँजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सम्पन्न अनुबन्धों की छायाप्रति आपको पुनः इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों से विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए, विगत में काटे गये, बैंक चार्जेज को वापस कराने तथा भविष्य में विभागीय खाते से किसी प्रकार की कटौती न किये जाने के आदेश सम्बन्धित शाखाओं को निर्गत कराने की व्यवस्था करें तथा कृत कार्यवाही की विस्तृत रिर्पोट दिनांक 10/06/2022 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, जिससे यदि आवश्यक हो तो बैंकों के साथ बैठक कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : यथोक्त।

(नवीन कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त)

पत्रांकः 321/उ0पा0का0लि0/नि0(वि0)-38 दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. उपमहाप्रबन्धक(वित्त) मु0/बैलेंसशीट विंग, उ0पा0का0लि0, वि0क्रॉ0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0पा0का0लि0 को इस आशय से प्रेषित की बैंक द्वारा बैंक चार्जेज मद की कटौती एवं बैंक के साथ हुए पत्राचार की सूचना तुरन्त अपने क्षेत्रीय उपमहाप्रबन्धक(वित्त) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे, जिससे उनके द्वारा इकाई के तथ्यों का संज्ञान भी लिया जा सके।
3. अधिशासी अभियन्ता(सू0प्रौ0), उ0पा0का0लि0, वि0क्रॉ0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु।

(नवीन कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त)